The Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) (Amendment) Bill, 2021
(Uttarakhand Bill N0…….. of 2021)
A
Bill

to amend the Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) Act 2019,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the seventy second year of the Republic of India as follows:-

Short Title and commencement

1. (1) This Act may called the Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) (Amendment) Act, 2021

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 19

2. In Section 19 of the Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) Bill, 2019 a new explanation shall be inserted as follows, namely:-

"Explanation: Any complaint arising under this Act, shall lies to the Jurisdiction of first class Judicial Magistrate of concerned district."

Statement of objects and reasons

It is necessary for the purpose of Uttarakhand Fruit Nurseries (Regulation) Act 2019, to insert a new explanation in section 19 of said Act, to determine the Judicial Jurisdiction.

2 Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष, 2021)

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने हेतु, विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 19 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा 19 में एक नया स्पष्टीकरण निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा अर्थात–

"स्पष्टीकरणः इस अधिनियम के अधीन जो भी परिवाद होगा, वह सम्बन्धित जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्षेत्राधिकार में होगा।"

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्रयोजनार्थ न्यायिक क्षेत्र निर्धारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 में एक नया स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाना आवश्यक है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(सुबोध उनियाल)
मंत्री

उद्देश्य एवं कारण

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत गठित अधिकरणों के अध्यक्षों की अधिकतम आयु सीमा सत्तर (70) वर्ष एवं सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा सड़सठ (67) वर्ष निर्धारित कर दी है। उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण का कार्य भी राज्य प्रशासनिक न्यायधिकरणों की तरह ही है, जो विभिन्न प्रदेशों में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (अधिनियम सं0 13 सन् 1985) द्वारा गठित हैं और राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवादों का निर्णय करते हैं। यह अधिकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियिम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अन्तर्गत गठित है एवं उत्तराखण्ड राज्य के लोक सेवको के सेवा सम्बन्धी विवादों को निर्णीत करता है।

2— अतः सम्यक विचारोपरान्त, केन्द्रीय अधिनियमों की भांति, एकरूपता लाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियिम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा सड़सठ (67) वर्ष से सत्तर (70) वर्ष एवं अन्य सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा पैसठ (65) वर्ष से सड़सठ (67) वर्ष करने के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियिम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

3— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री